11/10/17	वकील प्रार्थीगण तथा वकील अप्रार्थीगण उप० वकील अप्रार्थीगण ने प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 CPC पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब तथा बहस दर० दिनांक 25/10/17 को पेश हो। Riy
25/10/17	वकील फरीकैन उपस्थित पूर्वानुसार (वास्ते जवाब) व बहस दर० दि० 8/11/17 को पेश हो। Riy
8/11/17	वकील फरीकैन उप०। पूर्वानुसार वास्ते जवाब तथा बहस दर० दि० 15/11/17 को पेश हो। Riy
15/11/17	वकील फरीकैन उप०। वकील प्रार्थी प्रा०पत्र का जवाब देना नहीं चाहते हैं, बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24/11/17 को पेश हो। Riy
24/11/17	वकील फरीकैन उप०। बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में दर्ज विवादित आराजी व पक्षकार पूर्व में पेश प्रकरण उनवानी जयराम बनाम बच्चू वगै० मु० सं० 36/13 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा फैसल हो चुका है। समान पक्षकारों व उसी आराजी के लिए पूर्व में Riy Cont.

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्ल	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
	बबलू वर्मा V/S जयराम वर्मा इ० अस्थायी निषेधाज्ञा 23/17	
	पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जो कि निर्णीत हो चुका है, अब उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का कोई औचित्य नही है। उभयपक्ष विवादित आराजीयात के सहखातेदार है, प्रत्येक सहखातेदार का आराजी के प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। बिना बंटवारा किये किसी सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन उचित प्रतीत नही होता है। उभय पक्ष के अभिवचनों को वादपत्र में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.11.17 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	

Scanned by CamScanner